

चिकित्सा अभिलेख अनुभाग, ज.प्र.ना.ए.टॉ.कें. की नीति
पुलिस एवं न्यायालय कार्मिक हेतु

कार्य समय (अनुरोध प्राप्त करने तथा सौंपने सहित):

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से 4.30. बजे तक

1. न्यायालय समन की प्राप्ति:
 - क) दिल्ली के न्यायालय- सुनवाई की तिथि से कम से कम 04 दिन पहले।
 - ख) दिल्ली के बाहर के न्यायालय - सुनवाई की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले।
 2. किसी प्रकार की विभागीय जांच (डीई) अथवा अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण हेतु पुलिस अनुरोध/समन- सुनवाई/साक्ष्य की तिथि से कम से कम दो कार्य दिवस पहले प्राप्त किए जाते हैं।
 3. एक्स-रे, एमएलसी तथा डिस्चार्ज समरी आदि को जारी करने हेतु पुलिस अनुरोध- न्यूनतम 3 कार्य दिवस।
 4. किसी मामले /अभिलेख पर एमएलसी/एनएमएलसी संबंधी राय हेतु पुलिस अनुरोध - न्यूनतम 5 कार्य दिवस।
 5. किसी कारणवश छूट गए अभिलेख को गैर-एमएलसी से एमएलसी में बदलने हेतु पुलिस अनुरोध:-
 - क) यदि मामला नया है (2-3 दिन पुराना)-
 - (i) पहले प्रभारी-संकाय, ई.डी. से अनुमति प्राप्त करें- अनुरोध प्राप्त करने के समय से कम से कम दो घंटे में।
 - (ख) यदि मामला पुराना है (एक सप्ताह से अधिक) -
 - (i) सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, डी.सी.पी., ए.सी.पी. से इसे पहले न किए जाने का कारण बताते हुए (देरी का विशिष्ट कारण) अनुमति प्राप्त करें।
- कम से कम एक कार्य दिवस।**